

प्रेषक,

रणजीत कुमार, भा0प्र0से0

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

सेवा में

सभी सहायक निदेशक (नियोजन)

विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित।

सभी जिला नियोजन पदाधिकारी।

पटना-01, दिनांक-

विषय:-“निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता” योजना के तहत जिलों में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए कैम्प का आयोजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त योजना का वर्ष 2026-27 में ₹16,00,000 (रुपये सोलह लाख) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या-622 दिनांक-07.07.2026 द्वारा स्वीकृत “निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता” स्कीमन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलों में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए जॉब कैम्प का आयोजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त स्कीम के लिए ₹16,00,000 (रुपये सोलह लाख) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के स्तम्भ 4 के अनुसार दिया जा रहा है।

2. इस योजना के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-“2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएँ, समूह शीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएँ मांग सं0-53, उप शीर्ष-0121 “निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता” विपत्र कोड संख्या-53-2230.02.101.0121 के अंतर्गत व्यय हेतु विषय शीर्ष-“0121.20.02-कॉन्फरेन्स, कार्यशाला, सेमिनार मद में उपबधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, वित्तीय नियमावली-2005 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/निदेशों के आलोक में दी जा रही है। इस राशि का व्यय समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) एवं समय-समय पर निर्गत दिशा निदेशों के आलोक में सुनिश्चित करें।

4. राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार को देते हुए एक प्रति निदेशालय नियोजन मुख्यालय को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

5. प्रत्येक महीने के तीसरे कार्य दिवस तक टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय प्रधान यथा सभी सहायक निदेशक (नियोजन), विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी होंगे।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या:-02/यो0-5007/2026-

पटना-01, दिनांक- 21.08.26

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।